

# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 137]

दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 16, 2015/आश्विन 24, 1937

[स.स.स.क्षे.दि. सं. 124

No. 137]

DELHI, FRIDAY, OCTOBER 16, 2015/ASVINA 24, 1937

[N.C.T.D. No. 124

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 14 अक्तूबर, 2015

विषय: विकास कार्यों के लिए सार्वजनिक प्रापण की दक्षता में वृद्धि: "स्विस चैलेंज" प्रक्रिया को अपनाना।

सं0फा0 19/एफपीजेड एफ-1/डीएस(यूडी/लो0नि0वि0/2015/19704-19.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उभरते शहरी भू-परिदृश्य में परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहक नवाचार एवं नए विचारों के वर्धन के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्री परिषद् ने दिनांक 15 सितम्बर, 2015 के मंत्री मंडल निर्णय सं0 2202 द्वारा "स्विस चैलेंज" प्रक्रिया के माध्यम से परियोजनाओं के प्रापण का अनुमोदन किया था। यद्यपि प्रापण की यह प्रक्रिया एक अपवाद है और यह नवप्रवर्तन परियोजनाओं में मामला दर मामला के आधार पर अपनाई जाएगी।

2.0 "स्विस चैलेंज" एक अप्रार्थित प्रस्ताव है (यूएनपी) जो सार्वजनिक अवसंरचना परियोजना के लिए निजी क्षेत्रक कंपनी/संगठन द्वारा सार्वजनिक प्रापण प्राधिकारी को प्रस्तुत करना है। प्रापण प्राधिकारी बाद में उसी सामर्थ्य की अन्य को सहभागिता तथा उनके प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति देगा। यदि कोई प्रस्ताव लागत एवं प्रौद्योगिकी के संदर्भ में यूएनपी के वास्तविक प्रस्तावक से बेहतर होगा, तो उसे इसके मेल हेतु अस्वीकृति का पहला अधिकार होगा या परियोजना को लेना बेहतर होगा। यदि वह असफल रहता है तो प्रापण श्रेष्ठ बोलीकर्ता को प्रदान किया जाएगा।



3.0 नीति के तहत, सार्वजनिक हित में प्रापण का क्षेत्र, परिवहन, संचार, हाउसिंग, पुनर्विकास, सड़क, पानी, सामाजिक अपशिष्ट प्रबन्धन, पर्यटन, पर्यावरण तथा सुरक्षा के क्षेत्रों में अवसंरचना तथा सर्विस के विकास के लिए सरकार में स्विस् चैलेंज प्रक्रिया खुली है।

4.0 दिनांक 08.12.2015 के आदेश सं० एफ 19/एफपीजेडएफ-1/डीएस (यूडी/पीडब्ल्यूडी)/2015/19369-74 के अनुसार लोक निर्माण विभाग (लो०वि०वि०) सचिवालय में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) स्थापित की गई है।

5.0 "स्विस् चैलेंज" प्रक्रिया के अंतर्गत की जाने वाली किसी भी परियोजना के लिए प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी:

(i) प्रारंभ में, नवीन विचार/प्रस्ताव (यूएनपी) का प्रस्तावक प्राथमिक परियोजना रिपोर्ट तथा तकनीकी आर्थिक प्रत्यय-पत्र (परियोजना निष्पादित करने के लिए स्थिति) पीपीपी सैल को प्रस्तुत करेगा। पीपीपी सैल प्रस्ताव को प्राप्त करेगा और यूएनपी के संबंध में संबंधित विभाग/विभागों तथा ई-इन-सी (परियोजना), लोक निर्माण विभाग से टिप्पणी भी प्राप्त करेगा।

(ii) ई-इन-सी (परियोजना) से तकनीकी इनपुट प्राप्त करने के बाद यूएनपी को अनुमोदन हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की स्विस् चैलेंज परियोजनाओं के लिए समिति के समक्ष 'सैद्धान्तिक' रूप से अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

(iii) समिति की संरचना निम्न प्रकार होगी:

1. प्रधान सचिव (लोक निर्माण विभाग)	अध्यक्ष
2. ई-इन-सी (परियोजना), लोक निर्माण विभाग	सदस्य
3. वित्त विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य
4. योजना विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य
5. शहरी विकास विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य
6. अन्य स्टेकहोल्डर विभागों का प्रतिनिधि	सदस्य
7. भूमि स्वामित्व विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य
8. अपर सचिव (लोक निर्माण विभाग)	संयोजक

(iv) सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन प्रदान करने से पूर्व समिति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्री परिषद् का अनुमोदन प्राप्त करेगी।

(v) मंत्री परिषद् का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद पीपीपी सैल मूल परियोजना प्रस्तावक को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत करने को कहेगा। मूल प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत डीपीआर में तकनीकी पहलू जैसे- विनिर्देशन, बिल की मात्रा, लागत अनुमान, विस्तृत ड्राइंग इत्यादि तथा विस्तृत वित्तीय पहलू जैसे पूंजी/कैश फ्लो, टॉल/राजस्व, रिटर्न की लागत/आंतरिक दर इत्यादि डीपीआर द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। समिति द्वारा अपेक्षित अन्य कोई विवरण भी मूल प्रस्तावक द्वारा डीपीआर में सम्मिलित किया जाएगा।

(vi) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को तैयार करने के लिए मूल परियोजना प्रस्तावक द्वारा व्यय की गई लागत के लिए बाद में राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। मामला दर मामला के आधार पर परियोजना में सम्मिलित तकनीकी जटिलता तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट अपेक्षित विवरण के स्तर पर समिति द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को बनाने की लागत का समिति द्वारा अनुमोदन दिया जाएगा। किसी भी मामले में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने की लागत केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग नियमावली, 2014 में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं होगा।



(vii) बाद में डीपीआर की जांच एवं मूल्यांकन, ई-इन-सी (परियोजना) द्वारा की जाएगी और समिति को तकनीकी इनपुट प्रस्तुत किया जाएगा। फिर समिति द्वारा डीपीआर का मूल्यांकन किया जाएगा और बोली बुलाने के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन/अस्वीकृति दी जाएगी।

(viii) परियोजना देने वाला विभाग प्रतियोगी बोली निमंत्रण के माध्यम से बोली आमंत्रित करेगा। मूल (यूएनपी) प्रस्तावक को इस प्रतियोगी बोली में बोली लगाने की अनुमति नहीं होगी। डीपीआर को बनाने के लिए मूल परियोजना प्रस्तावक द्वारा व्यय की गई लागत के लिए राशि की प्रतिपूर्ति जैसाकि ऊपर निर्धारित है, बोली दस्तावेजों में घोषित की जाएगी और सफल बोलीकर्ता से वसूली जाएगी।

(ix) यदि प्रतियोगी बोलीकर्ता श्रेष्ठ वित्तीय प्रस्ताव देता है, तो परियोजना के मूल प्रस्तावक को निर्धारित अवधि के अंदर उसी से मेल खाता अवसर प्रदान किया जाएगा यदि वह प्राप्त श्रेष्ठ वित्तीय प्रस्ताव से मेल खाता है तो परियोजना मूल रूप प्रयोजना प्रस्तावक को प्रदान की जाएगी। ऐसे मामले में, डीपीआर तैयार करने की लागत को मूल प्रस्तावक को प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

(x) यदि मूल परियोजना प्रस्तावक श्रेष्ठ वित्तीय प्रस्ताव से मेल नहीं खाता है, तो परियोजना उस बोलीकर्ता को प्रदान की जाएगी जिसने श्रेष्ठ वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मूल परियोजना प्रस्तावक को डीपीआर को तैयार करने की लागत हेतु केवल मुआवजा दिया जाएगा जैसाकि सफल बोलीकर्ता द्वारा पूर्व में सहमति दी गई है।

6.0 प्रस्ताव को सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन देने से पूर्व तकनीकी आर्थिक प्रत्यय पत्र का आकलन किया जाएगा। यदि मूल प्रस्तावक को योग्य नहीं पाया जाता है तो केवल खुली बोली का सहारा लिया जाएगा एवं सफल बोलीकर्ता द्वारा डीपीआर को तैयार करने की लागत के लिए केवल मुआवजा दिया जाएगा। यदि बोली सफल नहीं रहती है तो मूल प्रस्तावक को मुआवजा नहीं दिया जाएगा।

7.0 यदि प्रस्ताव गिर जाता है अर्थात् समिति द्वारा बोली के बाद या पहले, या परियोजना निराकृत कर दी जाती है तो मूल प्रस्तावक को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने की लागत की प्रतिपूर्ति की अनुमति नहीं होगी।

8.0 कुछ मामलों में यदि समिति की सलाह हो तो परियोजना हेतु तकनीकी, वित्तीय तथा वैधानिक सलाह तथा परियोजना स्वामित्व विभाग की सहायता हेतु संचालन सलाहकार नियुक्त किया जा सकता है।

9.0 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का परियोजना स्वामित्व विभाग परियोजना अनुमोदन की वित्तीय/प्रशासनिक शक्तियों के नियमित प्रत्यायोजन के अनुसार कार्य का मूल्यांकन एवं आबंटन करेगी। किसी अन्य परामर्श या सहायता के लिए, परियोजना स्वामित्व विभाग मामले को स्विस् चैलेंज समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है।

डॉ० पूजा जोशी, अपर सचिव, (लो०नि०वि०/रा०वि०)

## PUBLIC WORKS DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Delhi, the 14<sup>th</sup> October, 2015

**Sub: Enhancing the Efficiency of Public Procurement for development Works : Adoption of the "Swiss Challenge" Method.**

**F. No. 19/FPZ F-1/DS(UD/PWD)/2015/19704-19.**—With a view to encourage innovation and growth of new ideas for projects in the emerging urban landscape of the National Capital Territory of Delhi, the Council of Ministers of the GNCTD, vide Cabinet Decision No. 2202



dated 15 September, 2015 has approved the procurement of projects through the "Swiss Challenge" method. This mode of procurement will however, be an exception and will be adopted in innovative project(s) on a case to case basis.

2.0 "Swiss Challenge" is an Unsolicited Proposal (UNP) submitted to the public procurement authority by a private sector company/organisation for a public infrastructure project. The procurement authority then allows others with similar capabilities to participate and submit their proposals. If any proposal is better in terms of cost and technology, the original proponent of UNP, having the first right of refusal, is asked to match it or better it to get the project. If he fails, then the procurement is awarded to the best bidder.

3.0 As a matter of policy, areas of procurement in public interest which would be open to Swiss Challenge Method in Delhi Government are of Development of Infrastructure and Services in the fields of Transportation, Communication, Housing, Re-development, Roads, Water, Social Waste Management, Tourism, Environment and Security.

4.0 A Public Private Partnership Cell (PPP) is set up in the Public Works Department (PWD) Secretariat as per Order No. F.19/FPZ F-1/DS(UD/PWD)/2015/19369-74 dated 08.10.2015.

5.0 The procedure for any project to be taken up under the "Swiss Challenge" method shall be as follows:

- (i) To begin with, the proponent of an innovative idea/proposal (UNP) will submit the preliminary project report and techno economic credentials (for being in a position to execute the project), to the PPP Cell. The PPP Cell will receive the proposal and also obtain comments of the department/departments concerned as well as the E-in-C (Projects), PWD, regarding UNP.
- (ii) After receiving the technical inputs from E-in-C (Projects) the UNP shall be placed before the Committee for Swiss Challenge Projects of GNCTD for "In Principle" approval.
- (iii) The committee shall have the following composition:

1. Pr. Secretary (PWD) – Chairman
2. E-in-C(Projects), PWD – Member
3. Representative of Finance Department – Member
4. Representative of Planning Department – Member
5. Representative of UD Department – Member
6. Representative of other stakeholder Department/s – Member
7. Representative of Land owning Department (s) – Member
8. Addl. Secretary(PWD) – Convener

(iv) Before granting the "In-Principle" approval, the committee shall obtain the approval of the Council of Ministers of the GNCTD.

(v) Upon approval of Council of Ministers the PPP Cell shall then advise the original project proponent to submit the Detailed Project Report (DPR). The DPR submitted by the original proponent shall contain the technical aspects like specifications, Bill of Quantity, cost estimates, detailed drawings etc. and detailed financial aspects like capital/cash flows, toll/revenues, costs/Internal Rate of Return etc. Any other details as required by the committee shall also be included in the DPR by the original proponent.

(vi) The reimbursement amount for the cost incurred by the original project proponent for preparation of the Detailed Project Report (DPR), shall be determined upfront. The cost of preparation of the Detailed Project Report shall be approved by the Committee on a case by case basis depending on the technical complexities of the project involved and the level of detailing required to be specified in the Detailed Project Report. In no case, the cost for preparation of the Detailed Project Report may be more than that specified in the CPWD Works Manual 2014.



- (vii) This DPR shall then be examined and evaluated by the E-in-C (Projects) and the technical inputs will be submitted to the committee. The committee will thereafter evaluate the DPR and approve/reject the proposal for calling bids.
- (viii) The project owning department shall then invite the bids through competitive bidding. The original (UNP) proponent will not be allowed to bid in this competitive bidding stage. The reimbursement amount for the cost incurred by the original project proponent for preparation of the DPR, as determined upfront, shall be declared in the bidding documents, and shall be recovered from the successful bidder.
- (ix) If the competing bidder provides the best financial offer, the original project proponent shall be given an opportunity to match the same within a stipulated time-frame. The project shall be awarded to the original project proponent, in case he matches the best financial offer obtained. In such a case, the cost of preparation of the DPR shall not be reimbursed to the original proponent.
- (x) In case the original project proponent is not able to match the best financial offer, the project shall be awarded to the bidder who had submitted the best financial offer. The original project proponent will only be compensated for the cost for preparation of DPR as agreed upon earlier, by the successful bidder.

6.0 The techno-economic credentials shall be assessed before the proposal is given "In-Principle" approval. In case the original proponent is not found to be so capable, then open bidding only will be resorted to and the original proponent will only be compensated for the cost for preparation of DPR, by the successful bidder. In case the bid does not succeed, the original project proponent shall not be compensated.

7.0 In case the proposal drops, i.e. in case before or after the bidding, or the project is scrapped by the committee, no cost re-imbursement for preparation of the Detailed Project Report to the original proponent shall be allowed.

8.0 In some cases, a Transaction Advisor for the project, offering technical, financial and legal advice and assisting the project owning department, may also be appointed, if advised by the committee.

9.0 The project owning department of GNCTD shall evaluate and award the work as per regular delegation of financial/administrative powers of project approval. For any advice or assistance, the project owning department can place the matter before the Swiss Challenge Committee.

Dr. POOJA JOSHI, Addl. Secy. (PWD/UD)

4457 DG/13-2